24.05.2020

Government of India
Ministry of Health and Family Welfare

Guidelines for domestic travel (air/train/inter-state bus travel)

1) Dos and Don'ts shall be provided along with tickets to the travellers by the agencies concerned.
2) All passengers shall be advised to download Arogya Setu app on their mobile devices.
3) Suitable announcement about COVID-19 including precautionary measures to be followed shall be made at airports/railway station/bus terminals and in flights/trains/bus.
4) The States/UTs shall ensure that all passengers shall undergo thermal screening at the point of departure and only asymptomatic passengers are allowed to board the flight/train/bus.
5) During boarding and travel, all passengers shall use face covers/mask. They will also follow hand hygiene, respiratory hygiene and maintain environmental hygiene.
6) At airports/railway stations/ bus terminals required measures to ensure social distancing shall be taken.
7) Airports/railway stations/bus terminals should be regularly sanitized/disinfected and availability of soaps and sanitizers shall be ensured.
8) Thermal screening at exit point shall be arranged.
9) Asymptomatic passengers will be permitted to go with the advice that they shall self-monitor their health for 14 days. In case, they develop any symptoms, they shall inform the district surveillance officer or the state/national call center (1075).
10) Those found symptomatic will be isolated and taken to the nearest health facility. They will be assessed for clinical severity at the health facility.
11) Those having moderate or severe symptoms will be admitted to dedicated COVID Health facilities and managed accordingly.
12) Those having mild symptoms will be given the option of home isolation or isolated in the Covid Care Centre (both public & private facilities) as appropriate and tested as per ICMR protocol available at https://www.mohfw.gov.in/pdf/Revisedtestingguidelines.pdf.

    If positive, they will continue in COVID Care Centre and will be managed as per clinical protocol.

    If negative, the passenger may be allowed to go home, isolate himself/herself and self-monitor his/her health for further 7 days. In case, any symptoms develop they shall inform the district surveillance officer or the state/national call center (1075).

NOTE: States can also develop their own protocol with regards to quarantine and isolation as per their assessment.

पत्रांक 117-(HS) /2021

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग।

प्रेषक,

प्रत्यय अमृत,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी,

सभी सिविल सर्जन

पटना, दिनांक 15 मार्च, 2021

विषय : कतिपय राज्यों में कोविड 19 के बढ़ते मामलों एवं आसन्न होली त्योहार के दृष्टिगत कोविड 19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक निदेश के संबंध में।

महाशया/महाशय,

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 15-03-2021 को बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए -

1- सभी एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र, केरल एवं पंजाब राज्यों से आनेवाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड 19 निगेटिव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही एयरपोर्ट से बाहर आने की अनुमति दी जाए। यदि कोई यात्री कोविड 19 के प्रमाण पत्र के साथ नहीं है तो उनकी जांच Rapid Antigen के माध्यम से तत्क्षण कराया जाए और कोविड 19 के जांच के फलाफल के आधार पर Isolation के संबंध में निर्णय लिया जाए। यह व्यवस्था दिनांक 17-03-2021 से लागू की जायेगी। अन्य राज्यों से आनेवाले यात्रियों का भी Random Basis पर जांच करायी जायेगी। इस आशय की सूचना विभिन्न एयरलाईन्स के माध्यम से दिनांक 17-03-2021 एवं उसके पश्चात आनेवाले यात्रियों तक पहुंचायी जाए।

2- इन राज्यों से आनेवाले ट्रेनों के संबंध में भी दैनिक रूप से सूचना प्राप्त कर इन ट्रेनों से उतरने वाले यात्रियों की Rapid Antigen kit के माध्यम से Randomly जांच करायें और फलाफल के आधार पर उचित निर्णय लिया जाए।

3- जिन पंचायतों में भारी संख्या में अन्य राज्यों से यात्री आये हैं उन पंचायतों में माईकिंग के माध्यम से कोविड 19 की जांच की अपील की जाए तथा RTPCR जांच हेतु सैम्पल लेने की व्यवस्था भी करायी जाए। इस कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मी गण तथा पंचायत प्रतिनिधियों की मदद ली जाए।

4- कोविड 19 पोजिटिव केस पाये जाने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन गठित किया जाए एवं इस संबंध में पूर्व से निर्गत निदेशों के आलोक में शत-प्रतिशत जांच एवं अन्य अनुवर्ती कारवाई सुनिश्चित किया जाए।

5- जिलों में स्थापित किये गये कोविड केयर सेन्टर एवं Dedicated Covid Health Centre की readiness एवं उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन करा लिया जाए तथा इसे Ready Mode में रखा जाए।

6- आसन्न होली त्योहार में सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार के होली मिलन समारोह आयोजित नहीं किये जायेंगे। कृपया इसे सुनिश्चित किया जाए।

7- सार्वजनिक स्थलों एवं यातायात साधनों में Social Distancing तथा Mask के प्रयोग हेतु निर्गत आदेशों को सख्ती से लागू कराया जाये।

विश्वासभाजन,

15/3/2021

(प्रत्यय अमृत)

ज्ञापांक- 412(115) पटना, दिनांक 15 मार्च, 2021

प्रतिलिपि मुख्य सचिव,बिहार,पटना/ मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति / आरक्षी, महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/3/2021

(प्रत्यय अमृत)

जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक ......3615.../सी0, पटना, दिनांक–7/4/21

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

निदेशक,
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
पटना।

विषय :– महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 का निगेटिव रिपोर्ट के पश्चात् ही यात्रा की अनुमति देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य, विशेषकर पटना जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उक्त संबंध में दिनांक 07.04.2021 को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में सूचित करना है कि महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल राज्य से हवाई यात्रा कर जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 जॉच प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोविड संक्रमण की जॉच की जा रही है। जॉच के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर अत्यधिक भीड़ एवं जगह के अभाव में उन्हें चिन्हित कर जॉच कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आने वाले हवाई यात्रियों के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 का निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है।

उक्त के आलोक में सभी एयर लायन्स को अपने स्तर से निदेशित किया जाय कि यात्रियों के बोर्डिंग के समय आर0टी0पी0सी0आर0 जॉच प्रमाण पत्र के केवल निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को हवाई यात्रा करने की अनुमति प्रदान करेंगें। साथ ही यात्रियों को यह भी सूचना देंगे कि यात्रा के बाद वे 10 दिनों तक होम क्वारंटाईन रहेंगें।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्राप्त उच्च स्तरीय निदेश का सख्ती से शत–प्रतिशत अनुपालन कराने की दिशा में अविलम्ब कारंवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

7/4/21
जिलाधिकारी,
पटना।

जिलाधिकारी कार्यालय, पटना।

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक—................/सी0, पटना, दिनांक—

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

निदेशक,
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
पटना।

विषय :- **महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड–19 आर0टी0पी0सी0आर0 का निगेटिव रिपोर्ट के पश्चात् ही यात्रा की अनुमति देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य, विशेषकर पटना जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उक्त संबंध में दिनांक 07.04.2021 को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में सूचित करना है कि महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल राज्य से हवाई यात्रा कर जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड 19 आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में पटना एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की कोविड संक्रमण की जाँच की जा रही है। जाँच के क्रम में पटना एयरपोर्ट पर अत्यधिक भीड़ एवं जगह के अभाव में उन्हें चिन्हित कर जाँच कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आने वाले हवाई यात्रियों के साथ आर0टी0पी0सी0आर0 का निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है।

उक्त के आलोक में सभी एयर लाइन्स को अपने स्तर से निदेशित किया जाय कि यात्रियों के बोर्डिंग के समय आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच प्रमाण पत्र के केवल निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को हवाई यात्रा करने की अनुमति प्रदान करेंगें। साथ ही यात्रियों को यह भी सूचना देंगे कि यात्रा के बाद वे 10 दिनों तक होम क्वारंटाईन रहेंगें।

उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्राप्त उच्च स्तरीय निदेश का सख्ती से शत-प्रतिशत अनुपालन कराने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

जिलाधिकारी,
पटना।

Dr.Vijay

ज्ञापांक 3614 /गो0 पटना,दिनांक–7/4/21

प्रतिलिपि– स्टेशन मैनेजर, इंडिगो/विस्तारा/गो–एयर/स्पाइस जेट/एयर इंडिया एवं अन्य एयर लायन्स को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
जिलाधिकारी,
पटना।

FAVTAY

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय शाखा)

पत्र संख्या /सी0.

प्रेषक :-

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

कोविड–19
अत्यावश्यक

सेवा में,

निदेशक,
एयरपोर्ट, दरभंगा।

लहेरियासराय, दिनांक वीं अप्रैल, 2021 ।

विषय :- **महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड–19 RTPCR का निगेटिव रिपोर्ट के पश्चात् ही यात्रा की अनुमति देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर कहना है कि बिहार राज्य विशेषकर दरभंगा जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। उक्त संबंधित दिनांक 07.04.2021 को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्राप्त उच्च स्तरीय निदेश के आलोक में आपको पूर्व में निदेश दिए जा चुके हैं एवं तदनुसार एयरपोर्ट पर ऐसे महाराष्ट्र से आनेवाले यात्रियों की कोविड–19 की एन्टीजेन जांच की जा रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में यह भी निदेशित किया गया था कि महाराष्ट्र से दरभंगा एयरपोर्ट पर आनेवाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड–19 **RTPCR** जांच प्रमाण पत्र साथ रखना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में पुनः निदेशित करना है कि दरभंगा हवाई अड्डा पर आने वाले यात्रियों की कोविड–19 संक्रमण की जांच के क्रम में पाया गया कि एयरपोर्ट पर अत्यधिक भीड़ एवं जगह के अभाव में उन्हें चिन्हित कर जांच कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र, पंजाब केरल एवं दिल्ली से दरभंगा हवाई अड्डा पर आने वाले हवाई यात्रियों के साथ **RTPCR** का निगेटिव रिपोर्ट आवश्यक है।

उक्त के आलोक में सभी एयरलाईन्स को अपने स्तर से निदेशित किया जाय कि यात्रियों के बोर्डिंग के समय **RTPCR** जांच प्रमाण पत्र के, केवल निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्रियों को हवाई यात्रा करने की अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही यात्रियों को यह भी सूचना देंगे कि यात्रा के बाद वे 10 दिनों तक होम क्वारंटाईन रहेंगे।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्राप्त उच्च स्तरीय निदेश का सख्ती से शत–प्रतिशत अनुपालन कराने की दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 1393/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 14 वीं अप्रैल, 2021 ।

प्रतिलिपि स्टेशन मैनेजर, स्पाईसजेट/इंडिगो/अन्य एयर लायन्स, दरभंगा हवाई अड्डा को सूचनार्थ एवं समरूप कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

जिलाधिकारी कार्यालय,पटना।

(गोपनीय शाखा)

पत्रांक ____________ /गो0,पटना, दिनांक

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
पटना।

सेवा में,

निदेशक,
जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
पटना।

विषयः— **महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल से आ रहे यात्रियों को अनिवार्य रूप से कोविड—19 आर0टी0पी0सी0आर0 का निगेटिव रिर्पोट के पश्चात ही यात्रा की अनुमति के संबंध में।**

प्रसंगः— **इस कार्यालय का पत्रांक 3614/गो0, दिनांक 07.04.2021**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र द्वारा महाराष्ट्र, पंजाब एवं केरल राज्य से हवाई यात्रा कर जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड—19 आर0टी0पी0सी0आर0 जाँच के केवल निगेटिव रिर्पोट वाले यात्री को हवाई यात्रा करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जिले में कोरोना संक्रमण दर में आयी कमी के कारण आर0टी0पी0सी0आर0 रिर्पोट की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त के आलोक में इस कार्यालय का पत्रांक 3614/गो0 दिनांक 07.04.2021 को शिथिल किया जाता है। अनुरोध है कि तत्संबंधी निदेश को अपने स्तर से सभी एयर लायन्स को अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/
जिलाधिकारी,
पटना।

ज्ञापांक......5243....../गो0, पटना दिनांक—29/6/21

प्रतिलिपिः— स्टेशन मैनेजर, इंडिगो/विस्तारा/गो—एयर/स्पाइस जेट/एयर इंडिया एवं अन्य एयर लायन्स को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
पटना।

HCL 2/E:Pankaj kumar

समाहरणालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

आ दे श

कोविड–19 की वर्त्तमान स्थिति को देखते हुए इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2742/सी0, दिनांक 21.08.2021 द्वारा महाराष्ट्र एवं केरल के हवाई यात्रियों के लिए दरभंगा हवाई अड्डा पर आर0टी0पी0सी0आर0 जांच/रिपोर्ट की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। उक्त आदेश दिल्ली एवं पंजाब के हवाई यात्रियों के लिए भी लागू होगा। तदनुसार पूर्व में इस कार्यालय द्वारा निर्गत पत्रांक 1393/सी0, दिनांक 14.04.2021 को तत्काल अगले आदेश तक वापस लिया जाता है।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या 2748/सी0, लहेरियासराय, दिनांक 22 वीं अगस्त, 2021 ।

प्रतिलिपि निदेशक, एयरपोर्ट, दरभंगा/स्टेशन मैनेजर, स्पाईसजेट/इंडिगो, दरभंगा एवं अन्य एयरलाईन्स को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सिविल सर्जन, दरभंगा/डी0पी0एम0, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
दरभंगा।